प्रेस नोट दिनांक 09.11.2026 जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त रोहित पटेल को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.11.2026 को वादी निवासी ग्राम पूरे धुनू, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ का पड़ोसी रोहित अपने भाई मोहित के साथ मारपीट कर रहा था। वादी द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी रोहित उसके साथ हाथापाई करने लगा। इसी दौरान वादी के पिता अमृतलाल बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने उन्हें जमीन पर पटककर उनके ऊपर चढ़कर गला दबा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 286/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा लगातार दबिश देकर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री भूपेश नाथ सिंह मय हमराह कां0 विशाल यादव, कां0 रामवीर सिंह, रि0का0 शरद कुमार गोंड, म0का0 एकता यादव एवं का0 सुमित सिंह (चालक) द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.11.2026 को मु0अ0सं0 286/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त रोहित पटेल पुत्र हरिकेश पटेल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम पूरे धुनू, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त रोहित पटेल ने पूछताछ में बताया कि दीपावली के दिन उसका अपने भाई मोहित से झगड़ा हो रहा था। इसी दौरान अमृतलाल बीच-बचाव करने पहुंचे और मोहित को उससे अलग कर दिया। इसी खुन्नस में गुस्से में आकर उसने अमृतलाल को उठाकर सड़क पर पटक दिया तथा उनकी छाती पर बैठकर गला दबा दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रोहित पटेल पुत्र हरिकेश पटेल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम पूरे धुनू, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी महेशगंज श्री भूपेश नाथ सिंह मय हमराह कां0 विशाल यादव, कां0 रामवीर सिंह, रि0का0 शरद कुमार गोंड, म0का0 एकता यादव एवं का0 सुमित सिंह (चालक), थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राकेश दूबे उर्फ गोलू गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त राकेश दूबे उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.11.2026 को वादी के पिता खेत से दीपक जलाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में शेखूपुर पुल पर राकेश दूबे उर्फ गोलू व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया। तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 539/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राकेश दूबे उर्फ गोलू उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र श्याम शंकर उर्फ शोभनाथ निवासी ग्राम टिकैता, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 354/2020 धारा 188,269 बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 518/2026 धारा 115(2), 126(2), 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)घ, 3(1)द, 3(2)वीए एससी/एसटी एक्ट थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 539/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव कां0 राजू गोंड कां0 योगेन्द्र सिंह कां0 दशरथ पटेल थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।